न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं०-06 जनपद – कानपुर देहात।		
सत्र वाद संख्या- 1812/2024		
राज्य	**बनाम**	दीपा उर्फ नेहा आदि

नाम साक्षीः **डा० राजीव शेखर पुत्र सत्येन्द्र प्रकाश**	**अपराध संख्या- 208/2024**
उम्रः लगभग 47 वर्ष, पेशाः चिकित्सक	**धारा- 103(1) भारतीय न्याय संहिता**
वर्तमान तैनाती पता साक्षीः नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मैंथा स्टेशन, कानपुर देहात	**थाना-शिवली, कानपुर देहात।**

दिनांकः16.01.2026

मैं **साक्षीः डा० राजीव शेखर पुत्र सत्येन्द्र प्रकाश, उम्रः लगभग 47 वर्ष, पेशाः चिकित्सक, वर्तमान तैनाती पता साक्षीः नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मैंथा स्टेशन, कानपुर देहात**शपथपूर्वक यह बयान करता हूँ कि......

1. दिनांक 05.07.2024 को मेरी ड्यूटी पोस्टमार्टम हाउस अकबरपुर, कानपुर देहात में थी। उसी दिन मृतक विनीत उर्फ मंजुर पुत्र स्व० रमेश चन्द्र निवासी ग्राम हथिका, थाना शिवली जनपद कानपुर देहात का शव हेड का० 540 मनोज पटेल व होमगार्ड सूर्यपाल सिंह थाना शिवली द्वारा मेरे पास समय 2:20 PM बजे पोस्टमार्टम हेतु पोस्टमार्टम हाउस लाया गया था।

2. मेरे द्वारा मृतक के शव की पोस्टमार्टम की कार्यवाही दिनांक 05.07.2024 समय दिन 02:30 PM पर शुरू की गयी थी। शरीर कद-काठी औसत था। मृतक की लम्बाई 164 CM थी। मृतक के शरीर पर एक चड्ढी व एक बनियान मौजूद थी। शरीर

के निचले एवं ऊपरी भाग में मृत्यु पश्चात अकड़न मौजूद थी। पी०एम० स्टैनिंग शरीर के पीछले हिस्से पुट्ठों व जांघों में मौजूद थी। मृतक की दोनों आंखे अधखुली थी व मुंह बंद था।

3. **<u>मृत्यु पूर्व चोटेंः-</u>**

I. एक Abraded contusion 3cm x 2 cm था जो कि बांये कान के पिन्ना पर मौजूद था और उस पर रक्त जमा हुआ था।

II.एक Abraded contusion 14cm x 17cm था जो कि गर्दन के बांये हिस्से से लेकर बायें कन्धे तक था।

III. Multiple Abraded contusion 24cm x 8 cm था जो कि बांये कंधे पर मौजूद था।

IV. एक contused Swelling जो कि 12cm x 8 cm थी जो कि बांये Scapula पर मौजूद थी।

V. Multiple Abraded contusion 15cm x 13 cm थी जो कि बांये Scapular के Border की ठीक नीचे मौजूद थी।

VI. एक contused Swelling जो कि 23cm x 18 cm थी जो कि दाहिने कंधे से 11cm नीचे मौजूद थी।

VII. Multiple Abraded contusion 26cm x 17 cm थी जो कि बांये पुट्ठे पर मौजूद थी।

VIII. Abrasion contusion 5cm x 3 cm थी जो कि Coccyx से 7cm ऊपर मौजूद थी।

IX. Multiple Abraded contusion 32cm x 10 cm थी जो कि बांये भुजा पर मौजूद थी।

X. Abraded contusion 6cm x 3 cm थी जो कि छाती में बांयी तरफ बायें निप्पल से 2cm बाहर की ओर मौजूद थी।

XI. Multiple Abraded contusion 21cm x 10 cm थी जो कि बांयीं टांग में घुटने के ठीक नीचे मौजूद थी।

XII. एक contused Swelling जो कि 6cm x 4 cm थी जो कि बांये पैर पर मौजूद थी।

XIII. एक Abrasion 2cm x 0.5cm थी जो कि दांयी जांघ पर दाये घुटने से 11cm ऊपर मौजूद थी।

XIV. एक Abrasion 5cm x 2cm थी जो कि Right lateral malleoulus पर मौजूद थी।

XV. एक Abrasion 14cm x 9cm थी जो कि दांयी भुजा पर मौजूद थी।

XVI. Multiple Abraded contusion 15cm x 6 cm थी जो कि दाहिने Forearm व हाथ पर मौजूद थी।

XVII. Abrasion contusion 1cm x 1 cm थी जो कि दाहिनी भौं पर मौजूद थी।

XVIII. एक contused Swelling 8cm x 6 cm थी जो कि सिर के दाहिनी तरफ Temporal parietal Region पर मौजूद थी।

XIX. एक Abraded contusion 5cm x 3 cm थी जो कि बांये घुटने पर मौजूद थी।

4. **<u>आन्तरिक परीक्षणः-</u>**

मस्तिष्क एवं मस्तिष्क की झिल्लियाँ Pale थी। ब्रेन Pale था। दोनो फेफड़े Pale थे। हृदय के दोनों चैम्बर खाली थे। दांत 16/16 थे और लूज थे। Peritoneal Cavity में लगभग एक लीटर रक्त मौजूद था। अमाशय में लगभग 200 ML तरल पदार्थ मौजूद था। लीवर फटा हुआ था और Pale था। गालब्लेडर आधा भरा था। छोटी आंत आधी गैस से भरी थी और बड़ी आंत में गैस व मल मौजूद था। तिल्ली, पैन्क्रियाज व दोनों किडनी Pale थी। मूत्राशय खाली था।

5. **<u>अभिमतः-</u>**

मृतक की मृत्यु पोस्टमार्टम किये जाने से एक दिन से कम की थी। मृतका की मृत्यु का कारण Shock And Haemorrhage था, जो कि मृत्यु के पूर्व आई चोटों से आन्तरिक रक्तस्राव के कारण था। चोटें मृत्यु के लिए पर्याप्त थी। ये चोटें किसी भी Hard and blunt object से आ सकती हैं।

6. पोस्टमार्टम की कार्यवाही के पश्चात पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे द्वारा तैयार की गयी थी। जिस पर मेरे हस्ताक्षर हैं। जिसकी मैं पुष्टि करता हूँ। जिस पर **प्रदर्श P-5** अंकित किया गया।

7. पोस्टमार्टम की कार्यवाही के पश्चात मृतक का शव, मूल पोस्टमार्टम रिपोर्ट, इन्क्वेस्ट पेपर व कपड़े हेड का० मनोज पटेल को सुपुर्द कर मूल पोस्टमार्टम रिपोर्ट पर उनके हस्ताक्षर बनवाये थे।

8. विवेचक ने मेरा बयान लिया था।

प्रतिपरीक्षा द्वारा अभियुक्त

बार बार पुकार कराये जाने पर भी प्रतिपरीक्षा हेतु कोई उपस्थित नहीं। अतः प्रतिपरीक्षा का अवसर समाप्त किया जाता है।

मेरे बोलने पर आज यह बयान
रीडर द्वारा टंकित किया गया। सुनकर तस्दीक किया।

HANS PRAKASH DIXIT